



दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली के कायाकल्प हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी के नये आयाम

सेक्टर G-3, G-4, यूईआर II, नरेला, दिल्ली और सेक्टर 34, रोहिणी, दिल्ली में स्थित 2 बहु-खेल एकीकृत स्टेडियम और खेल परिसर के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) नरेला और रोहिणी, दिल्ली में स्थित 2 भूमि भूखंडों को लाइसेंस शुल्क के आधार पर आवंटित करने को इच्छुक है। जहां 2 बहु-खेल एकीकृत स्टेडियम और खेल परिसरों के विकास और संचालन किए जाएंगे।

विकास नियंत्रण मानदंड एमपीडी 2021 और एकीकृत भवन उप-नियमावली, 2016 के अनुसार होंगे।

इच्छुक इकाईयों से इस ईओआई के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया **09-04-2025** को शाम **05.00 बजे तक**

commrlnddisp@dda.org.in अथवा kunal.kashyap81@gov.in पर ईमेल के माध्यम से अपने कॉर्पोरेट प्रोफाइल और विगत 3 वर्षों के प्रमुख वित्तीय आंकड़ों (जैसे सकल राजस्व, पीएटी और शुद्ध मूल्य) के साथ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

डीडीए 26-03-2025 को सुबह 11.00 बजे हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित करेगा।

ईओआई यहां देखी जा सकती है :
<https://dda.gov.in/tenders>

मुख्य साइट विवरण :

भूमि क्षेत्रफल

20.23 हेक्टेयर (नरेला)

22.25 हेक्टेयर (रोहिणी)

भूमि की स्थिति

28.80101, 77.08825 (नरेला)

28.77470, 77.08341 (रोहिणी)

एफएआर

40 (एमपीडी-2021)

ग्राउंड कवरेज

20% (एमपीडी-2021)

भूमि की स्थिति

खाली

आवंटन की विधि

लाइसेंस शुल्क आधार

लाइसेंस अवधि

60 वर्ष

साइट देखने के लिए कृपया सम्पर्क करें :

नरेला के लिए - श्री सुरेन्द्र डोगरा (ईई) डीडीए + 91 - 99106 00296 पर
रोहिणी के लिए - श्री मोहित पारासर (ईई) डीडीए + 91 - 9971154443 पर

किसी भी जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें :

श्री कुणाल कश्यप, आयुक्त (एलडी), डीडीए +91 - 98362 50026 पर